

मैसर्स एस.सी.जैन एण्ड ब्रदर्स, उदयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-“सी” उदयपुर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री पंकज घीया,

अभिभाषक ।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 27.08.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (अपील्स) उदयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो अपील संख्या 91/आर.एस.टी./2005-06 के संबंध में पारित किया गया है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-“सी” उदयपुर (जिसे आगे “निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 37 के तहत प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये जाने संबंधी पारित आदेश दिनांक 08.07.2005 की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा वक्त निर्धारण यह पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण वर्ष 2001-02 के लिये पण्यावर्त कर के स्थान पर मुक्ति शुल्क का विकल्प प्रार्थना पत्र दिनांक 31.05.2001 को प्रस्तुत किया है, जो कि विलम्ब से है एवम् उक्त हेतु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मुक्ति शुल्क कमश रु.2,400/- दिनांक 19.04.2001 को राजकोष में जमा करवा दी गयी है। परन्तु निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत विकल्प प्रार्थना पत्र को समय पर प्रस्तुत नहीं होना अवधारित कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में घोषित पण्यावर्त रु.1,01,41,200/- पर 0.25 प्रतिशत की दर से पण्यावर्त कर का निर्धारण कर, इस पण्यावर्त पर कर, अधिभार व ब्याज आरोपित करते हुए आदेश पारित किया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 37 के तहत परिशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत वाणिज्यिक कर अधिकारी, जालौर बनाम् मैसर्स अम्बिका सिमेन्ट उद्योग 13 टैक्स अपडेट 17 में प्रतिपादित सिद्धांतों एवम् अवधारित

लगातार.....2

निष्कर्षों के आलोक में, पारित निर्धारण आदेश को परिशोधित करने की प्रार्थना की गयी। जिसे प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को जरिये आदेश दिनांक 09.01.2006 के अस्वीकार कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी राजस्थान राज्य में पंजीकृत व्यवहारी है एवम् प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2001-02 में पण्यावर्त कर के स्थान पर मुक्ति शुल्क का विकल्प प्रार्थना पत्र पेश कर, नियमानुसार मुक्ति शुल्क जमा कराया है जिसे प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर, मांग राशियां कायम करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अग्रिम कथन किया कि अधिक से अधिक इस आवेदन पत्र को दिनांक 31.05.2001 को प्रस्तुत करना माना जा सकता है और इस विलम्ब को नियम 10(2) के प्रावधानों के अनुसार रु0 200/- की शास्ति आरोपित करते हुये प्रत्यर्थी को कर मुक्ति का लाभ प्रदान करना चाहिये था, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा भी अस्वीकार कर, विधिक त्रुटि की गयी है। अपने उक्त तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय वा.क.अ. जालौर बनाम् मै0 अम्बिका सीमेन्ट उद्योग, 13 टैक्स अपडेट 17 को व समान बिन्दुओं पर माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा अपील संख्या 692/2006/उदयपुर निर्णय दिनांक 21.12.2007 को प्रोद्धरित किया गया। अपने उक्त तर्कों व प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर, प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है।

5. प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से उप-राजकीय अधिवक्त ने उपस्थित होकर कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एफ. 4(12)एफडी/टैक्स-डिवी/2001-48 दिनांक 29.03.01 के बिन्दु संख्या 6 में यह स्पष्ट है कि वर्ष 2001-02 के लिये उक्त अधिसूचना का लाभ लेने के लिये व्यवहारी को उक्त अधिसूचना के जारी होने के 45 दिवस के भीतर पण्यावर्त कर के स्थान पर मुक्ति शुल्क भुगतान हेतु विकल्प का प्रार्थना पत्र पेश करना अनिवार्य था, जो प्रस्तुत करने के अभाव में पण्यावर्त कर दायित्व निर्धारित करना विधिसम्मत एवम् उचित है तदनुसार, कायम की गयी अनुवर्ती

ब्याज व सरचार्ज की मांग भी विधिसम्मत है। अतः इस संबंध में दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।


6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 13 टैक्स अपडेट 17 का ससम्मान अध्ययन किया गया। माननीय न्यायालय के उक्त प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत का अध्ययन करने से विदित होता है कि उपर्युक्त प्रोद्धरित प्रकरण में व्यवहारी द्वारा अधिसूचना 30.03.2000 की पालना में निर्धारित मुक्ति शुल्क रु.4000/- अधिसूचनानुसार दिनांक 31.10.2001 तक जमा करवायी गयी थी परन्तु उक्त समयाविध में प्रस्तुत नहीं करने के कारण संबंधित निर्धारण अधिकारी द्वारा करारोपण किया गया था जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियम 10(2) के तहत कण्डोन कर, अधिसूचना दिनांक 30.03.2000 का लाभ प्रदान कर, आदेश पारित किया गया है जबकि हस्तगत प्रकरण में, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिसूचना दिनांक 29.03.2001 अनुसार कुल पण्यावर्त अनुसार कुल कर मुक्ति शुल्क रु.4800/- निर्धारित अवधि अर्थात् दिनांक 31.10.2001 तक जमा नहीं करवायी गयी है । यह नहीं अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(4)एफडी/टैक्स-डिवी/99-पीटी-II-170 दिनांक 04.02.2003 के तहत भी राज्य सरकार द्वारा दिये गये अवसर के क्रम में न तो पूर्ण कर मुक्ति शुल्क जमा करवायी गयी है एवम् न ही शेष रह गयी कर मुक्ति शुल्क का 25 प्रतिशत राजकोष में दिनांक 31.03.2003 तक ही जमा करवाया गया है । इस संबंध में उपर्युक्त अंकित अधिसूचना दिनांक 04.02.2003 की शर्त संख्या 1 व 2 का मूल पठन इस प्रकार है:-

- (i) He shall deposit the whole of the amount which has become due under the Scheme along with the interest thereon at the rate notified under the Act, not later than the end of the relevant year.
- (ii) He shall also deposit a late fee, amounting to twenty five percent of the due amount required to be deposit under the Scheme where he exercises this option under clause (i) by December 31st, and this late fee shall be fifty percent of the due amount if he exercises this option after December 31 but before March 31, of the relevant financial year, but for the financial year upto 2001-02, such option can be excercised upto 31-3-2003, with late fee amounting to twenty five percent of due amount....

राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना दिनांक 29.03.2001 व अधिसूचना दिनांक 40.02.2003 के अध्ययन व निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित

आदेश से विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त जारी अधिसूचनाओं में अंकित शर्तों की पालना नहीं की गयी है। जहां तक अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत का प्रश्न है, उक्त न्यायिक दृष्टांत में व्यवहारी द्वारा अधिसूचना दिनांक 30.03.2000 की शर्तानुसार पूर्ण कर मुक्ति शुल्क जमा करवाया गया था जबकि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिसूचनानुसार पूर्ण कर मुक्ति शुल्क जमा नहीं करवाया गया है। अतः माननीय न्यायालय के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत को ससम्मान व्यक्त कर, उक्त को हस्तगत प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति से भिन्न होने के कारण लागू किये जाने योग्य नहीं होना समझती है। फलस्वरूप, दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

7. परिणामतः, प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।
8. निर्णय सुनाया गया।


27.8.2017
(मदन लाल)
सदस्य